Dr. S. S. Pandey

Vulnerable Category: Children
अतिसंवेदनशील वर्ग : बच्चे

1

National Commission for Protection of Child Right

2

2007 में,
बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के द्वारा,
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन

3

उद्देश्य

यह सुनिश्चित करना कि-
कानून, नीतियाँ एवं कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र, संविधान में उल्लिखित तथा UN Convention on the Rights of the child 1989 से संगत है या नहीं

4

प्रमुख कार्य

1. सुरक्षा उपायों का परीक्षण एवं पुनर्परीक्षण करना तथा उनके प्रभावी कार्यक्रमों हेतु सिफारिशें करना
2. केंद्र सरकार को इस दिशा में रिपोर्ट देना

5

3. बाल अधिकारों के उल्लंघन के शिकायतों की जाँच और ऐसे मामलों में कार्यवाही को सुनिश्चित करना
4. ऐसे कारकों का परीक्षण करना, जो बच्चों के अधिकारों के उपभोग को बाधित करे और उपचारात्मक उपायों की सिफारिशें करना

6

5. विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चों से जुड़े मामलों को देखना और उपचारात्मक उपायों को सुझाना
6. अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपायों और बाल अधिकारों पर, मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों एवं अन्य गतिविधियों का अध्ययन एवं सिफारिश करना

7

7. बाल अधिकारों के क्षेत्र में शोध, बाल अधिकार साक्षरता को फैलाना तथा बाल अधिकार के बारे में लोगों को अधिक जागरूक बनाना
8. बाल सुधार गृह, किशोर संरक्षण गृह, आदि का निरीक्षण करना एवं उपचार हेतु सुझाव देना

8

Dr. S. S. Pandey

Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO Act, 2012)

9

1999 में..... Sakshi Vs Union of India Case में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय :
बाल एवं यौन शोषण से निपटने हेतु IPC अपर्याप्त है इसलिए सरकार इस दिशा में प्रयास करें
फलतः 2009 में POCSO Act के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ
फलतः POCSO Act 22 मई, 2012 से लागू....

10

11

यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012....

18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को बच्चा मानता है और इन सभी को, यौन उत्पीड़न अथवा अश्लील कार्यों में, इनके प्रयोग से सुरक्षा प्रदान करता है

16

- अत्यधिक गंभीर यौन उत्पीड़न के संदर्भ में, दोषी पर, अपने को निर्दोष सिद्ध करने का दायित्व [धारा 28]
- Special Court & Speedy Trial का प्रावधान [धारा- 28]
- न्यायायिक प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर, बच्चों के हितों को सर्वाधिक महत्व [धारा- 33, 37, 38, 39, 40]

12

यौन अपराध की प्रकृति

1. *Penetrative Sexual Assault* [धारा-3, 4]
2. *Aggravated Penetrative Sexual Assault* [धारा-5, 6]
3. *Sexual Assault* [धारा-7, 8]

17

- बच्चों से मित्रवत् जांच प्रक्रिया, सबूतों की रिकॉर्डिंग एवं अपराध के ट्रायल की सुविधा [धारा-24, 25, 26]
- मीडिया पर, यह प्रतिबंध कि, वह न्यायालय की अनुमति के बिना बच्चों की पहचान को सार्वजनिक नहीं करेगा [धारा 23]

13

4. *Aggravated Sexual Assault* [धारा-9, 10]
5. *Sexual Harassment* [धारा-11, 12]
6. *Use child for Pornographic Purposes* [धारा-13, 14]

18

- बच्चों को राहत एवं उनके पुनर्वास का प्रावधान [धारा-33]
- इस अधिनियम के बारे में, प्रचार-प्रसार के द्वारा जागरूकता फैलाने का प्रावधान [धारा-43]
- इस अधिनियम के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण की जिम्मेवारी 'राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग' और 'राज्य बाल संरक्षण आयोग' का [धारा-44]

14

प्रमुख प्रावधान / लक्षण

- किसी विश्वासपात्र, अधिकारी या निकटतम व्यक्ति द्वारा किये गए यौन अपराध को, अत्यंत क्रूरतम या संगीन अपराध की श्रेणी में रखकर, सजा का प्रावधान [धारा - 3 to 12]
- दोषी व्यक्ति को, भले ही वह अपराध करने में असफल रहा हो, तो भी सजा देने का प्रावधान तथा अपराध में अभिप्रेरक एवं सहयोगी को भी सजा का प्रावधान है [धारा- 16, 17, 18]

19

Dr. S. S. Pandey

Protection of Children from Sexual Offences Amendment Act, 2020

15

- यौन उद्देश्य से बच्चों का व्यापार को भी यौन अपराध की श्रेणी में रखते हुए, उसके लिए भी सजा का प्रावधान [धारा- 13, 14]
- उपरोक्त तीनों प्रकार के अपराधों के लिए सजा या दंड, तीन वर्ष से आजीवन कारावास (2020 में मृत्युदंड भी) तक या/तथा जुर्माना भी

20

पृष्ठभूमि

- 2018 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि, 16 वर्ष की आयु के बाद सहमति से यौनिक, शारीरिक संबंध या इस प्रकार के अन्य कृत्यों को POCSO Act, के दायरे से बाहर कर देना चाहिए

21

- जुलाई 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिलों में बाल यौन शोषण के मुकदमें के लिए, केन्द्र से वित्तपोषित अदालतें गठित करने का आदेश दिया
- वर्ष 2012 में POCSO Act के लागू होने के बाद भी, यौन उत्पीड़न संबंधी अपराधों के मामले में वृद्धि हुई

22

- उन्नाव गैंगरेप, कठुआ में बच्ची से दुष्कर्म एवं हत्या के बाद उपजे व्यापक जनाक्रोश
- अपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश, 2018

↓

Protection of Children from Sexual Offences Amendment Act, 2020

23

प्रमुख संशोधन

↓

24

POCSO Act, 2020 के तहत्, बाल यौन शोषण के पहलुओं पर उचित ढंग से निपटने के लिए, POCSO Act, 2012 की धारा- 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 34, 42 और 45 में संशोधन किया गया है, जिनमें निम्न प्रमुख हैं-

↓

25

1. बच्चों (12 वर्ष तक के बच्चे) का गंभीर यौन उत्पीड़न करने वालों को, मृत्युदंड एवं नाबालिगों के खिलाफ अन्य अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान
2. POCSO Amendment Act, 2020 में, बाल पोर्नोग्राफी पर लगाम लगाने के लिए कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान

26

3. केंद्र और राज्य सरकारों को, बच्चों के लिए आयु उपयुक्त (Age -Appropriate) शैक्षिक सामग्री और पाठ्यक्रम तैयार करना, जिससे उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक किया जा सके

27

4. व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत, बच्चों की शारीरिक सुरक्षा के साथ ही, ऑनलाइन मंचों पर उनकी पहचान से संबंधित सुरक्षा के उपायों, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल
5. राज्य सरकारों को, बाल उत्पीड़न के खिलाफ, 'शून्य सहिष्णुता' के सिद्धांत पर आधारित 'बाल संरक्षण नीति' तैयार करने का निर्देश

28

समीक्षा

↓

निश्चित रूप से.....

POCSO Act, बच्चों के रक्षोपाय एवं संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, इसमें निकटतम एवं उत्तरदायी व्यक्ति के द्वारा किये गए अपराध के लिए कठोर सजा का प्रावधान, न केवल इस तरह के अपराध से बच्चों को विशेष संरक्षण देता है

29

बल्कि, इसमें पीड़ित बच्चों के प्रति संवेदनशीलता पर बल देकर, बच्चों के कोमल मन को समझने का प्रयास किया गया है और इस अधिनियम में उसको समाहित किया गया है।

यद्यपि..... 2020 में POCSO Act में संशोधन करके, इसको और अधिक कठोर एवं तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया गया है तथापि.....

30

तथापि जरूरत है..., विधि प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा इस कानून के समुचित क्रियान्वयन की एवं लोगों में, इस कानून के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की, तभी इस कानून के द्वारा बाल संरक्षण एवं रक्षोपाय की दिशा में अपेक्षित परिणाम को प्राप्त किया जा सकता है

Dr. S. S. Pandey

The Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015

31

इसको 'Juvenile Justice Act'

भी बोलते हैं

15 जनवरी, 2016 से लागू

32

परिचय

28 अप्रैल 2015 को, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2000 की पुनर्व्याख्या हेतु दिये गए निर्देश को आधार बनाते हुए, The Juvenile Justice (Care & Protection) Act, 2015 को 15 जनवरी, 2016 से पूरे देश में लागू किया गया

33

प्रमुख प्रावधान / लक्षण

1. यह अधिनियम बच्चों को 2 श्रेणियों में विभाजित करता है-
   - पहली श्रेणी- 16 से 18 वर्ष आयु के बच्चे
   - दूसरी श्रेणी- 16 वर्ष से नीचे के बच्चे

34

2. यह अधिनियम जघन्य अपराध में लिप्त 16-18 वर्ष के बच्चे अथवा किशोरों पर, वयस्क के समान मुकदमा चलाने का प्रावधान करता है
3. प्रत्येक जिले में एक या अधिक Juvenile Justice Board के गठन का प्रावधान, जिसमें एक न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जिसमें से एक महिला होगी (अब तक 701 JJB का गठन) [धारा- 4]

35

4. 16-18 वर्ष तक की आयु के किशोर द्वारा किये गए अपराधों की जाँच, Juvenile Justice Board द्वारा की जायेगी और जांच के बाद निर्धारित किया जायेगा कि- किशोर अपराधी को पुनर्वास हेतु भेजा जाये या उस पर एक वयस्क की भांति मुकदमा चलाया जाये

[धारा- 14,15, 16,17,18]

36

5. Juvenile Justice Board की रिपोर्ट बाल न्यायालय को भेजी जायेगी, जिसके आधार पर बाल न्यायालय यह निर्णय लेगा कि-

दोषी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाये या फिर बच्चे की तरह और उसे परामर्श या निगरानी में या बाल सुधार गृह में भेजा जाये

[धारा-19, 20]

37

6. प्रत्येक जिले में, एक 'बाल कल्याण समिति' के गठन का प्रावधान, जो पुनर्वास देखभाल एवं संरक्षण वाले किशोरों हेतु संस्थागत कार्यों को करेगी [धारा- 27, 28, 29, 30]

(अब तक 675 CWC का गठन)

7. Juvenile Justice Act, किशोरों द्वारा किये गए अपराधों को, 3 श्रेणियों में विभाजित करता है (जघन्य अपराध, गंभीर / घोर अपराध व छोटे / मामूली अपराध)

38

(i) जघन्य अपराध- जिसके लिए IPC या अन्य विधि के तहत् न्यूनतम 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान [धारा- 2 (33)]

Cognizable (संज्ञेय), Non-Bailable (गैर-जमानती) तथा बाल न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा

39

(ii) गंभीर/घोर अपराध- जिसके लिए IPC या अन्य विधि के तहत् अधिकतम् 3-7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान

[धारा- 2 (54)]

Cognizable (संज्ञेय), Non-Bailable (गैर-जमानती) तथा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा

40

41

(iii) मामूली/छोटे अपराध- जिसके लिए IPC या अन्य विधि के तहत् अधिकतम् 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान [धारा- 2 (45)]

↓

Non-cognizable (असंज्ञेय), Bailable (जमानती) तथा किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा

42

NOTE

↓

मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान शामिल नहीं [धारा- 21]

43

8. 16-18 वर्ष के किशोरों पर, 'गंभीर / घोर' एवं 'मामूली / छोटे' अपराध करने पर, वयस्कों की भांति तभी मुकदमा चलाया जा सकता है, जब उसको (दोषी को) 21 वर्ष की आयु के बाद गिरफ्तार किया गया हो [धारा- 20]

44

9. इस अधिनियम में, विभिन्न अपराधों के लिए अलग-अलग सजा का प्रावधान है; जैसे-

A. बच्चों को ड्रग्स देने पर 7 वर्षों तक की सजा और एक लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान [धारा- 78]

45

B. बच्चों की खरीद फरोख्त पर, 5 वर्षों की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान [धारा- 81]

C. बच्चों से भीख मंगवाने पर, 5 वर्षों तक की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान [धारा- 76]

46

10. Central Adoption Resource Authority (CARA) को सांविधिक निकाय का दर्जा देने का प्रावधान [धारा- 68]

47

समीक्षा

↓

इस अधिनियम की सर्वाधिक आलोचना, 16-18 वर्ष की आयु के बच्चों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने के प्रावधान की गयी है, इस संदर्भ में-

1. CPI और अन्य सुधारवादियों के अनुसार- कानून का आधार 'विधि विवादित बच्चों' का सुधार एवं पुनर्वास होना चाहिए न कि उनसे प्रतिशोध लेना

48

2. जस्टिस जे. एस. वर्मा के अनुसार - हमारे सामाजिक ढाँचे की वजह से कानून का सामान्यीकरण नहीं किया जाना चाहिए।

(नोट- निर्भया कांड के बाद जे. एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था)

49

3. इस अधिनियम का परीक्षण करने वाली मानव संसाधन मंत्रालय की संसदीय समिति के अनुसार- 16-18 वर्ष के बच्चों के साथ वयस्कों की तरह पेश आने से, कानून के समक्ष संघर्ष की स्थिति पैदा होगी

50

बावजूद इसके, यह अधिनियम 16-18 वर्ष के बच्चों द्वारा किये जाने वाले जघन्न अपराध के मामले में, इन पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का प्रावधान तथा गंभीर एवं मामूली अपराध की स्थिति में, 21 वर्ष बाद पकड़े जाने पर, वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का प्रावधान पूर्व के कानून में निहित कमियों को दूर करता है और ऐसे बच्चों द्वारा किये गये अपराध से पीड़ितों को न्याय प्रदान करता है।

साथ ही इस अधिनियम में, JJB के द्वारा जाँच के उपरांत ही, अपराध की गंभीरता के बारे में निर्णय लेने का प्रावधान, इस अधिनियम के कारण होने वाली गलतियों की संभावना से बचाव करता है

51

परंतु यह भी तथ्य है कि.....

इस अधिनियम का समुचित लाभ तभी संभव है, जब इसके बारे में लोगों को जागरूक करके, इसके क्रियान्वयन और न्यायिक प्रक्रिया में निहित दोषों को दूर किया जाये और Juvenile Justice Act, 2021 में किया गया संशोधन, इसी दिशा में एक सराहनीय कदम है

52

Dr. S. S. Pandey

The Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Amendment Act, 2021

53

पृष्ठभूमि

1. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने वर्ष 2020 में, 'चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस (CCIs) का ऑडिट किया और पाया कि-
   - CCIs 90% 'गैर-सरकारी संगठनों' द्वारा चलाए जा रहे थे

54

- वर्ष 2015 में, संशोधन लाए जाने के बाद भी 39% CCIs पंजीकृत नहीं थे
- 20% से कम CCIs, विशेष रूप से लड़कियों के लिए, असम में स्थापित ही नहीं किए गए थे
- 26% में, बाल कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति ही नहीं की गयी थी

55

- प्रत्येक पाँच में से तीन, CCIs में शौचालय नहीं था
- दस में से एक, CCIs पीने का पानी ही उपलब्ध नहीं था और 15% में अलग बिस्तर या आहार योजना का प्रावधान नहीं था

2. CWC के सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानकों को, फिर से परिभाषित करने की जरूरत महसूस की गयी

56

3. लागू कानून के तहत्, तीन तरह के अपराधों (हल्के, गंभीर, घृणित) को परिभाषित किया गया था, परन्तु यह देखा गया कि कुछ ऐसे अपराध होते हैं, जो ऊपर बताई गयी श्रेणियों में शामिल नहीं हो पाते हैं।

संशोधन के द्वारा, ऊपर बताई गयी श्रेणियों में, शामिल नहीं होने वाले अपराधों को, समाहित करना जरूरी हो गया

57

4. गोद लेने संबंधी बढ़ते मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने की आवश्यकता भी महसूस की गयी

फलतः .....

The Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Amendment Act, 2021

58

प्रमुख संशोधन

59

A. घोर अपराध की परिभाषा का विस्तार

घोर अपराध के अंतर्गत ऐसे अपराध शामिल जिनके लिए IPC या किसी अन्य विधि के तहत....

1. तीन वर्ष से अधिक और सात वर्ष से अनधिक की अवधि के न्यूनतम कारावास के दंड का उपबंध है; या

60

61

2. सात वर्ष से अधिक के अधिकतम कारावास का उपबंध है किन्तु, कोई न्यूनतम कारावास या सात वर्ष से कम के न्यूनतम कारावास का उपबंध नहीं है

62

B. अपराध की प्रकृति में संशोधन

- गंभीर / घोर अपराध : संज्ञेय और गैर-जमानती की जगह असंज्ञेय और गैर- जमानती होगा
- जघन्य अपराध के साथ-साथ, गंभीर / घोर अपराध और मामूली / छोटे अपराध भी, बाल न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा

63

C. CWC की सदस्यता की अर्हता में संशोधन

- CWC की सदस्यता के लिए, बाल मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान या विधि या सामाजिक कार्य या मानव स्वास्थ्य या दिव्यांग बालकों की विशेष शिक्षा से संबंधित डिग्री तथा सात वर्षों की विशेषज्ञता जरूरी
- बाल दुरूपयोग से संबंधित स्वच्छ रिकॉर्ड

64

D. न्यायालय की जगह जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका में वृद्धि

E. गोद लेने संबंधी प्रक्रिया में संशोधन

65

Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme

समन्वित बाल विकास सेवा योजना 1975

66

- 2 अक्टूबर, 1975 से शुरू यह योजना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित, एक एकीकृत (स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा) योजना है, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं उनकी माताओं पर केंद्रित है।

67

- इस योजना में, आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत, निम्न 6 सेवाओं का पैकेज दिया जाता है-
  1. पूरक पोषण
  2. स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा
  3. पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा
  4. प्रतिरक्षण
  5. स्वास्थ्य जाँच
  6. रेफरल सेवाएँ

68

समन्वित बाल विकास योजना का उद्देश्य

1. 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य को बेहतर बनाना
2. एक ऐसी प्रणाली विकसित करना, जिसे बच्चों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं मानसिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके
3. बच्चों की मृत्युदर, अस्वस्थता, कुपोषण दर एवं स्कूल छोड़ने की दरों में कमी लाना

69

समन्वित बाल विकास योजना के कार्य

1. समेकित बाल विकास सेवा के तहत् बच्चों को 300 दिनों के लिए पूरक भोजन दिया जाता है, जिसमें प्रतिदिन 500 कैलोरी की ऊर्जा तथा 12-15 ग्राम प्रोटीनयुक्त भोजन शामिल है तथा स्तनपान कराने वाली गर्भवती महिलाओं को 600 कैलोरी की ऊर्जा तथा 18-20 ग्राम प्रोटीनयुक्त भोजन शामिल है

70

2. गर्भावस्था के दौरान माँ को आवश्यक पोषण के बारे में जानकारी दी जाती है और बच्चों की देखभाल हेतु, विभिन्न जरूरतों के बारे में पता लगाकर उनकी मदद की जाती है

3. इस कार्य हेतु आंगनवाड़ी केंद्र का सहयोग भी लिया जाता है

4. बच्चों की शिक्षा एवं देखभाल हेतु विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में एकजूटता को प्रोत्साहित किया जाता है

71

Note:- 16 नवंबर, 2017 को भारत सरकार ने ICDS के तहत् 4 योजनाओं को आगे भी जारी रखने की अनुमति प्रदान की; जो हैं-

1. आंगनवाड़ी सेवा योजना
2. सबला योजना
3. बाल सुरक्षा सेवा
4. राष्ट्रीय क्रेच योजना

72

समन्वित बाल संरक्षण योजना (ICPS)

73

महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा बच्चों के लिए एक संरक्षणकारी वातावरण तैयार करने हेतु-

1. बाल अधिकारों की रक्षा
2. बच्चों का सर्वोत्तम हित के सिद्धांतों पर आधारित एक केंद्र प्रायोजित योजना, जिसकी शुरूआत 2009-10 में की गयी

74

समन्वित बाल संरक्षण योजना का उद्देश्य

1. कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन करने वाले बच्चों के कल्याण में सुधार करना
2. बच्चों का दुरूपयोग, शोषण, परित्याग और उनके परिवारों से बच्चों को अलग करने की परिस्थितियों एवं कार्यों को कम करना

75

समन्वित बाल संरक्षण योजना के प्रमुख कार्य एवं गतिविधियाँ

1. किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बाल कल्याण समिति (CWC) एवं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता देना

76

2. राष्ट्रीय, राज्य एवं जिलों के स्तर पर 3 स्तरीय सेवा प्रदायगी (प्रदान करना), अवसंरचना का निर्माण करना
3. बच्चों की देख-रेख संरक्षण एवं पुनर्वास या सेवा प्रदान करने के लिए NGO, राज्य सरकार आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना; जैसे....

77

जैसे....

(i) बच्चों के लिए गृह निर्माण
(ii) चाइल्ड लाईन (1098)
(iii) शहरी एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में देखभाल एवं संरक्षण हेतु आश्रय निर्माण
(iv) पालन-पोषण, देख-रेख एवं दत्तक ग्रहण की देखभाल एवं निगरानी

78

D. 2011-12 में ट्रेक चाईल्ड पोर्टल का विकास

E. 2015-16 में 'खोया-पाया' वेबसाइट का निर्माण, जो ट्रेक चाइल्ड से एकीकृत एक प्लेटफार्म है, यह गुमशुदा बच्चों और पाये गये बच्चों तक पहुँच को सुनिश्चित करता है

79

F. एक निःशुल्क 24 घंटे की फोन पहुंच सेवा (चाइल्ड लाईन सर्विसेज-1098 की शुरूआत एवं संचालन)

G. किशोर न्याय अधिनियम 2015 में उल्लिखित दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 (2021 में संशोधित) से अधिसूचित किया गया, जिसके द्वारा दत्तक ग्रहण संबद्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन

80

H. 27 अप्रैल, 2014 से एक घर गोद ले, कार्यक्रम का संचालन, जिसके तहत अनेक बड़े लोगों को, बाल गृह में रहने वाले बच्चों की सहायता हेतु आमंत्रित किया जाता है

81

I. कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए 2006 से राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना का संचालन, जिसमें पूरक पोषण, प्रतिरक्षण, पोलियो ड्रॉप, बुनियादी स्वास्थ्य निगरानी जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं, आपातकालीन दवाईयाँ एवं सेवाएँ, सोने की सुविधाएँ, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा सुविधा (3-6 वर्ष) प्रदान की जाती है

82

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम - 2013

83

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य विकास निगम मिशन के तहत, 130 करोड़ रुपये की शुरूआती राशि के साथ, 6 फरवरी, 2013 को महाराष्ट्र में शुरूआत

84

उद्देश्य

18 वर्ष से कम आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए, स्वास्थ्य की देख-रेख हेतु, समन्वित कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना

85

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम - 2013 के कार्य

86

A. सरकारी एवं गैर-सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में, 18 वर्ष तक के और ग्रामीण क्षेत्रों एवं Slums में रहने वाले 0-6 वर्ष तक के बच्चों को, स्वास्थ्य जाँच एवं चिकित्सा उपलब्ध कराना।

87

इस हेतु-

(i) 6-18 वर्ष के बच्चों को, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जाँच एवं निःशुल्क चिकित्सा

(ii) 0-6 वर्ष के बच्चों को, आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से, वर्ष में 2 बार स्वास्थ्य जाँच एवं निःशुल्क चिकित्सा

88

(iii) 0-6 सप्ताह के बच्चों को, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से, घर-घर जाकर स्वास्थ्य सुविधाएँ एवं चिकित्सा

B. इसके तहत जिला स्तर पर, त्वरित चिकित्सा केंद्रों की स्थापना करना तथा त्वरित चिकित्सा केंद्रों में, हृदय रोग, बहरापन तथा अन्य शिशु रोगों का इलाज करना

89

C. चरणबद्ध तरीके से इस योजना के संचालन द्वारा, देश के 27 करोड़ बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना

90

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK)

91

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 7 जनवरी, 2014 को, 10-19 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों के लिए शुरू किया गया, यह स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्य मुद्दों के अलावा पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों के सेवन को लक्षित करेगा।

92

- इस कार्यक्रम का मुख्य सिद्धांत किशोर भागीदारी और नेतृत्व, समता तथा समावेशन, लिंग समानता एवं अन्य क्षेत्रों व हितधारकों के साथ सामरिक भागीदारी है।
- इसके तहत किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, गैर-संचारी रोग, लिंग आधारित हिंसा और मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

93

राष्ट्रीय पोषण मिशन - 2018

94

परिचय

1. प्रधानमंत्री द्वारा 8 मार्च, 2018 को, महिला दिवस के अवसर पर, राजस्थान के झुंझुनू से राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरूआत
2. National Nutrition Strategy द्वारा समर्पित इस मिशन का उद्देश्य- छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में कुपोषण एवं एनीमिया को कम करना है

95

3. इस मिशन के तहत, ठिगनेपन, जन्म के समय शिशु के वजन में कमी, शिशु में रक्त की कमी, भोजन में पोषण तत्वों का असंतुलन आदि को दूर करके, 2022 तक एक कुपोषणमुक्त भारत के निर्माण पर बल

96

4. इस योजना से लगभग 10 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं और इस मिशन के सफल संचालन हेतु, देश के सभी राज्यों के जिलों को, 3 वार्षिक चरणों में योजनाबद्ध रूप से शामिल किया गया है-

97

(i) पहले चरण 2017 - 18 में - 315 जिलों में

(ii) दूसरे चरण 2018 - 19 में - 235 जिलों में

(iii) तीसरे चरण 2019 - 20 में - शेष जिलों में

98

5. इस योजना का वित्तपोषण 50% विश्वबैंक या अन्य विकास बैंकों द्वारा तथा 50% केन्द्रीय बजट द्वारा

99

NNM का लक्ष्य

राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत 2017-2022 तक मिशन के अंतर्गत, निम्न लक्ष्य निर्धारित हैं-

100

क्रम संख्या	उद्देश्य	लक्ष्य
1.	बच्चों में ठिगनेपन को कम करना (0-6 वर्ष)	2% प्रति वर्ष के लक्ष्य से 6% तक कम करना
2.	बच्चों (0-6 वर्ष) में पोषण की कमी के कारण कम वजन की समस्या में कमी लाना	2% प्रतिवर्ष की दर से 6% तक कमी लाना
3.	छोटे बच्चे (6-59 महीने) में रक्त की कमी की समस्या में कमी लाना	3% प्रतिवर्ष की दर से 9% तक कमी लाना

101

क्रम संख्या	उद्देश्य	लक्ष्य
4.	5-49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं एवं किशोरियों में रक्त की कमी की समस्या में कमी लाना	3% प्रतिवर्ष की दर से 9% तक कमी लाना
5.	नवजात शिशु के जन्म के समय वजन की कमी की समस्या में कमी लाना	2% से 6% प्रतिवर्ष की दर से कमी लाना

102

राष्ट्रीय पोषण मिशन की कार्य प्रणाली

1. *Information and Communications Technology (ICT)* आधारित *Real Time Operating System (RTOS)* के माध्यम से, मिशन के कार्यों के समुचित संचालन हेतु, *Common Application Software* का निर्माण

103

2. आँकड़ों का समुचित संग्रहण हेतु, सभी आंगनवाड़ी महिलाओं एवं कर्मचारियों को 'स्मार्ट फोन' तथा महिला सुपरवाईजर को टेबलेट दिया जा रहा है
3. सभी आँगनवाड़ी केंद्रों को, वजन एवं कद को ठीक से रिकॉर्ड करने हेतु, आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं

104

4. वजन की कमी एवं विकास में रूकावट एवं ठिगनेपन का पता लगाने के लिए, आँगनवाड़ी महिलाएँ, प्रत्येक माह वजन तथा हर तीसरे माह लंबाई को *Application Software* के माध्यम से रिकॉर्ड करेगी

105

5. इन आँगनवाड़ी महिलाओं के बेहतर कार्य हेतु प्रोत्साहन राशि के रूप में, 500 रुपये तक तथा अन्य रूपों में पुरस्कृत किया जायेगा
6. राष्ट्रीय पोषण मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु, उसकी निगरानी के लिए नीति आयोग की अध्यक्षता में एक 'टेक्निकल यूनिट' का गठन होगा

106

रक्षोपाय हेतु योजनागत प्रयास : मूल्यांकन एवं निष्कर्ष

1. उपलब्धियाँ / सफलता की चर्चा करें
2. कमियाँ / अभी भी अपेक्षित लक्ष्य से दूर
3. सुझाव - उपरोक्त कमियों के संदर्भ में